

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2 लखीमपुर खीरी।

जमानत प्रा०पत्र सं० 1225-2026

रजि०सं०-2649-2026

CNR No. UPLP01-005646-2026

विजय सिंह उर्फ गामा पुत्र कप्तान सिंह निवासी बघमरा, थाना हैदराबाद, जिला खीरी।

----- अभियुक्त।

बनाम

राज्य ----- विपक्षी।

मु०अ०सं० 179/2026

धारा-305(e), 331(4), 317(2) BNS

थाना हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी।

20-07-2026

संदर्भित जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त विजय सिंह उर्फ गामा की ओर से मु०अ०सं० 179/2026 धारा-305(e), 331(4), 317(2) BNS, थाना हैदराबाद जिला लखीमपुर खीरी के मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा जमानत आवेदन के साथ शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में यह कथन अंकित किया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रा०पत्र प्रथम है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्त ने जमानत प्रा०पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी न हुई है और न ही मौके से गिरफ्तार किया गया है बल्कि दिखायी गयी बरामदगी फर्जी एवं साजिशी है। प्रार्थी को थाना हैदराबाद की पुलिस द्वारा घर से पकड़कर फर्जी केस बनाकर जेल भेज दिया गया है, दिखायी गयी गिरफ्तारी फर्जी एवं साजिशी है। प्रार्थी का पूर्व में कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी को उचित जमानत पर रिहा किया जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रा०पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रा०पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 16-06-2026 को सुबह 09:00AM पर मोबाइल से सूचना मिली कि वादी मदनलाल के सहकारी समिति के कार्यालय का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर उसके द्वारा तत्काल चौकी इंचार्ज अजान थाना हैदराबाद लखीमपुर खीरी को सूचना दी गयी है तथा वह 09:45AM पर समिति पर उपस्थित हुआ को देखा कि सहकारी विभाग द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पीओएस मशीन, डेस्कटाप, एल०सी०डी०, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनवर्टर, बैटरी अदत एवं इलेक्ट्रॉनिक पंखा आदि अराजक तत्वों द्वारा चोरी कर लिया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।

सुना तथा संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के

अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा जघन्य प्रकृति के अपराध से सम्बन्धित नहीं है। अभियुक्त नामजद आरोपी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 04-07-2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त विजय सिंह उर्फ गामा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) के निजी बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेंकिंग देने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं0 19/एडमीन-जी-2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामों को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतियों के स्थाई व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभूतों के शिनाख्ती प्रपत्र को भी पृथक से दाखिल किया जायेगा।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2
लखीमपुर खीरी
JO CODE No. UP6367